न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 39/2016

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1.दीपा पुत्र आदाजी 2.भैरीया पुत्र आदाजी 3.देवी पुत्री आदाजी तमाम जातियान् मेघवंशी, निवासीगण सराणा, तहसील आहोर, जिला जालोर		1.खेताराम पुत्र हरीराम 2.रमेशकुमार पुत्र हरीराम 3.इन्द्रापुरी पुत्री हरीराम 4.हंजादेवी पत्नि हरीराम तमाम जातियान् मेघवंशी, निवासीगण सराणा, तहसील आहोर, जिला जालोर 5.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार आहोर,दिनांक 6.11.2015(ना.क.सं. 779)

उपस्थिति :–
1-श्री सुरेन्द्रकुमार दवे,अभिभाषक,अपीलांट्स की ओर से।
2.श्री नीखिल दवे,अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं.1से 4 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 30.9.2019

1. अपीलांट्स के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट सं.1 से 4 ने अपीलांट्स व अन्य खातेदारों मंजु, धन्नाराम, केसाराम, लक्ष्मी ने रेस्पोडेन्ट सं.5 –तहसीलदार आहोर को एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् अपीलांट्स के खसरा नम्बर 1511 रकबा 1.32 हेक्टर में से रास्ता उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण दर्ज करवाया था ,उस प्रकरण में मंजूदेवी वगैरा को नोटिस भी तामील नही करवाये गये एवं न ही अपीलांट्स को जवाब देने का अवसर दिया गया एवं दिनांक 25.5.2015 को अपीलांट के खसरा नम्बर 1511 रकबा 1.32 हेक्टर में से खसरा नम्बर 1946 के लगते हुए ग्राम वेडीया ढाणी की ओर जाने वाले रास्ते से लगता हुआ 124 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा,

कुल 496 वर्गमीटर भूमि नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित अनुसार खसरा नम्बर 1511 में से कम की जाकर सार्वजनिक रास्ते हेतु स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये गये, उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा राजस्व अपील अधिकारी,पाली में दिनांक 15.6.2015को अपील पेश कर दी गई थी, जो अपील सं. 23/15 है, अपील के लम्बित रहते मातहत अदालत ने म्युटेशन सं. 779 भर दिया जिसके वियद्ध यह अपील पेश की हैं, दिनांक 11.8.2015 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 के अधिवक्ता की तरफ से राजस्व अपील अधिकारी के यहां उपस्थिति दे दी थी जिससे स्पष्ट हैं कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 व रेस्पोडेन्ट सं. 5 को अपील का पूरा ज्ञान दिनांक 11.8.2015को हो चुका है। एस.डी.ओ. के आदेश दिनांक 25.5.2015 के विरूद्ध अपील लम्बित थी इस दौरान् रेस्पोडेन्ट सं.5-तहसीलदार जालोर ने नामान्तरकरण सं. 779 पारित किया है जो गैरकानूनी है। अपीलांट्स को सर्वप्रथम दिनांक 17.6.2016को मोबाईल पर धमकी रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 ने दी थी कि मौजा सराणा के खसरा नम्बर 1511 में से रास्ता खोल देंगे व रास्ते का नामान्तरकरण भी भरवा दिया है तब अपीलांट्स को नामान्तरकरण सं. 779दिनांक 6.11.2015 की जानकारी हुई जिस पर दिनांक 21.6.2016 को अपीलांट्स ने जालोर आकर नकले मांगी जो दिनांक 21.6.2016 को प्राप्त हुई , अपील नकल प्राप्ति से अन्दर म्याद है, जिस हेतु अलग से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश किया है, अतः अपील अन्दर म्याद शुमार कर तहसीलदार आहोर के आदेश दिनांक 6.11.2015(ना.क.सं. 779) निरस्त करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ म्युटेशन सं.779 दि.6.11.2015 की प्रमाणित प्रति आदि नकले पेश की गई, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट्स के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है, अतः अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट्स के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि राजस्व अपील प्राधिकारी,पाली के यहां अपील लम्बित रहते हुए तहसीलदार आहोर द्वारा म्युटेशन भरा गया है,जो गैर कानूनी होने से अपील

स्वीकार कर म्युटेशन सं.779 दिनांक 6.11.2015 को निरस्त करावे । इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स 1 से 4के वकील ने बताया कि तहसीलदार आहोर द्वारा उपखण्ड अधिकारी आहोर के निर्णय दिनांक 25.5.2015 की पालना में भरा जाकर स्वीकृत किया गया है,उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट्स ने राजस्व अपील प्राधिकारी पाली में अपील की जो अपील सं. 23/15 है जो भी दिनांक 2.6.2017को खारिज हो चुकी हैं ,अतः अपीलांट्स की अपील खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। यह अपील ,न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के राजस्व प्रार्थनापत्र, अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित आदेश दिनांक 25.5.2015 (मु.नं.52/13)की पालना में भरे गये मौजा सराणा के नामान्तरकरण सं. 779 दिनांक 6.11.2015 के विरूद्ध पेश की गई है, उक्त आदेश दिनांक 25.5.2015 के विरूद्ध अपीलांट्स ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली में प्रस्तुत करने पर निर्णय दिनांक 2.6. 2017(अपील सं. 23/15) द्वारा उक्त अपील खारिज कर दिनांक 25.5.2015 के आदेश को बहाल रखा गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

आदेश

अपीलांट द्वारा तहसीलदार आहोर के आदेश दिनांक 6.11.2015 (ना.क.सं. 779) के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 30.9.2019को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.19 16:02:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: